पत्र संख्या–09/निजी सुरक्षा(07)–68/2022– 138 /

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

पूनम प्रभा पूर्ति (भा०प्र०से०),
सरकार के संयुक्त सचिव–सह–
नियंत्री पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री सुनील कुमार सिंह,
पा०–ईगल आई शील्ड सिक्यूरिटी एलएलपी, Office Add.- Flat No. 302, Ganga II, Trivanipuram, Booty Road, Ranchi.

राँची, दिनांक– 11/01/2023 ई०

विषय:– झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियामक) नियमावली–2010 के तहत निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन के आलोक में झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियामक) नियमावली–2010 के तहत **पूरे झारखण्ड राज्य** में निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने हेतु संलग्न अनुज्ञप्ति (प्रपत्र–VI) निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्गत की जाती है :–

1. नियोजित सुरक्षा कर्मियों/पर्यवेक्षकों के चरित्र तथा पूर्व वृत सत्यापन के संबंध में नियमावली की कंडिका–4(X) के तहत फार्म–III में चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रति एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत प्रशिक्षण संस्थान में आपका एवं सुरक्षा प्रहरियों/पर्यवेक्षकों के लिए विहित प्रशिक्षण तथा निपुणता संबंधी प्रमाण पत्र फार्म–IV की प्रति छः माह के भीतर अनिवार्य रूप से नियंत्री पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण चलाने वाले व्यक्तियों अथवा उनके पत्राचार के पतों में किसी बदलाव के संबंध में सात दिनों के भीतर नियंत्री पदाधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण चलाने वाले व्यक्तियों का ऐसे अभिकरण द्वारा रखे गये किसी निजी सुरक्षा प्रहरियों या पर्यवेक्षकों के विरूद्ध किसी आपराधिक मामले की जानकारी अविलंब देंगे। ऐसी संसूचना की एक प्रति पुलिस थाना, जहाँ उक्त व्यक्ति रहता है, के थाना प्रभारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा।
4. जिस जिले में कार्य प्रारंभ की जाय, उस जिले के उपायुक्त/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी को अविलम्ब सूचित करते हुए विभाग को भी सूचित किया जाय।
5. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति को प्रदर्श स्वरूप अपने संस्थान के विशिष्ट स्थल पर सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रदर्शित करेंगे।
6. अनुज्ञप्तिधारी अथवा निजी सुरक्षा अभिकरण के विरूद्ध किसी तरह का परिवाद अथवा निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 एवं गृह विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–3839, दिनांक–16.09.2010 द्वारा निर्गत झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियामक) नियमावली–2010 के अंतर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण चलाने हेतु निर्धारित/प्रख्यापित नियमों के उल्लंघन का मामला संज्ञान में आने पर अनुज्ञप्ति निलंबित करने अथवा रद्द करने का अधिकार नियंत्री पदाधिकारी को होगा।
7. अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन अधिनियम–2005 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर समर्पित करना होगा।
8. एजेन्सी का यह दायित्व होगा कि तीन माह के अंदर अपने वेवसाइट पर सभी सुरक्षाकर्मियों का विवरण एवं गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करते हुए एतद् विषयक अनुपालन देगा।
9. एजेन्सी का यह दायित्व होगा कि वे EPFO/ESIC के साथ निबंधन उपरांत उनकी शर्तों एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) की शर्तों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे अन्यथा किसी तरह का परिवाद/मामला संज्ञान में आने पर अनुज्ञप्ति निलंबित करने अथवा रद्द करने का अधिकार नियंत्री पदाधिकारी को होगा।
10. नियंत्री पदाधिकारी को अधिकार होगा कि वे स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी समय एजेन्सी कार्यालय एवं उनके गतिविधियों की जाँच कराकर नियमानुसार कार्रवाई कर सकेंगे।
11. अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने की शर्तों के उल्लंघन के कारण अनुज्ञप्ति निलम्बित/रद्द कर देने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अनु०–यथोपरि।

विश्वासभाजन,
11.01.2023
सरकार के संयुक्त सचिव–सह–
नियंत्री पदाधिकारी।

Form VI

(See rule 8)

Govt. of Jharkhand

Licence to engage in the business of Private Security Agency

Serial No ..07/2023........

Date ....11.01.2023.....

Shri Sunil Kumar Singh, S/o-Late Jagarnath Prasad Singh, R/o-Flat No.302, Ganga II, Trivanipuram, Booty Road, Ranchi is granted the licence by the Controlling Officer for the State of Jharkhand to run the business of Private Security Agency **EAGLE EYE SHIELD SECURITY LLP** in the entire State of Jharkhand with office at **Flat No. 302, Ganga II, Trivanipuram, Booty Road, Ranchi (Jharkhand).**

Place of Issue	-	Ranchi
Date of Issue	-	11.01.2023
This licence is valid upto	-	10.01.2028

11.01.2023

(Punam Prabha Purty)
Joint Secretary-cum-
Controlling Authority PSARA
Department of Home,
Jail & Disaster Management.
Govt. of Jharkhand, Ranchi

RENEWAL

(See rule 8)

Date of Renewal	Date of expiry
1.	
2.	
3.	
4.	

Signature

Name of renewing Authority

Designation

Official Address